



2018/00132

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

(राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प अटल सेवा केन्द्र रजौराखुर्द )  
प्रकरण संख्या :18/2013

बमुक0 सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ

बनाम

मायादेवी पत्नी स्व0 जगन्नाथ, उमेशकुमार, शैलेश कुमार पिसरान जगन्नाथ,  
अनीता, ऊषा पुत्रीयांन जगन्नाथ, हरेशकुमार पुत्र आँधू कौम ब्राहमण निवासी  
सैपऊ, पंजाब नेशनल बैंक शाखा सैपऊ तहसील सैपऊ

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीएक्ट

25.05.2018 आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र रजौरा खुर्द पर पेश हुई । पत्रावली का अवलोकन किया । तहसीलदार सैपऊ द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 1391 रकवा 19 विश्वा वाके ग्राम सैपऊ नम्बर 02 तहसील सैपऊ अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है जिसमें उन्हौने बिना भूमि रूपान्तरण कराये मोबाईल टावर स्थापित कर दिया है। कृषि भूमि को उन्हे मोबाईल टावर स्थापित करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। तहसीलदार द्वारा खातेदारी अधिकार समाप्त कर मोबाईल टावर के उपयोग में ली गई भूमि को राज्य सरकार (सिवायचक) दर्ज कराये जाने हेतु निवेदन किया है।

बिना रूपान्तरण कराये स्थापित मोबाईल टावरों के संबन्ध में **Department of Urban Development and Housing Govt. of Rajasthan** ने आदेश क्रमांक f .10(147)UDH/3/2008 part kkk Date 6 feb.2017 जारी कर निर्धारित फीस प्राप्त कर बिना रूपान्तरण कराये स्थापित मोबाईल टावरों को नियमित करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसकी कार्यवाही पृथक से की जानी है। इसलिये अब इस प्रकरण को लम्बित रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है अतः कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।